भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1743
दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए

डीएमएफ के तहत एकत्रित धनराशि

1743. श्री जितेंद्र दोहरेः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत अब तक एकत्रित कुल राशि और इस संबंध में वर्ष-वार किए गए वार्षिक वितरण का ब्यौरा क्या है;
(ख) अब तक जिन योजनाओं पर यह निधि खर्च की गई है उनका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खनन गतिविधियों के कारण नदी कटाव या जल स्तर में गिरावट जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन या ठोस उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या निधि के उचित उपयोग के लिए कोई पारदर्शी डिजिटल निगरानी प्रणाली या जनभागीदारी आधारित ट्रैकिंग तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या डीएमएफ के अंतर्गत कोई पंचवर्षीय व्यापक योजना या विजन दस्तावेज तैयार किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-18 से इटावा जिले में डीएमएफ के अंतर्गत कुल 71.59 लाख रुपये एकत्रित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में 35.17 लाख रुपये (शिक्षा: 16.61 लाख रुपये और कोविड-19: 18.56 लाख रुपये) और वर्ष 2022-23 में 12.03 लाख रुपये (अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र) का उपयोग किया गया है।

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, प्रत्येक पट्टेदार को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से पर्यावरणीय मंजूरी एवं वन मंजूरी सहित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के भाग के रूप में, भावी पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करते हैं और आधारभूत पर्यावरण पर परियोजना कार्यकलाप के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टाधारकों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के दौरान यथा अनुमोदित पर्यावरणीय शमन उपायों को लागू करना भी आवश्यक है। पट्टाधारकों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों के अनुपालन की निगरानी और उनका प्रवर्तन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इटावा जिले के संबंध में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(घ) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशा-निर्देश, 2024 में अधिदेशित है कि प्रत्येक डीएमएफ को सक्रिय प्रकटीकरण, जिसमें निधि संग्रहण, उपयोग विवरण, परियोजना सूचियां, प्रगति रिपोर्ट, लेखापरीक्षा निष्कर्ष और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आदि शामिल हैं, के लिए एक समर्पित वेबसाइट का रख-रखाव करना होगा। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने वर्ष 2024 में एक केंद्रीकृत मंच, राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल (https://dmf.gov.in) भी शुरू किया है, जो जिला-वार एवं राज्य-वार डेटा, क्षेत्रीय निधि आवंटन और प्रमुख दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है।

(ङ) पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश, 2024 में अधिदेशित है कि जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण या मूल्यांकन के माध्यम से अभिचिह्नित निष्कर्षों और कमियों के आधार पर, डीएमएफ एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना कार्यनीति तैयार करेंगे।

*****